No. CDN-27011/2/2020-CDN-MCA
Government of India
Ministry of Corporate Affairs

5th Floor, 'A' Wing, Shastri Bhavan
Dr. Rajendra Prasad Road, New Delhi-110 001
Dated: 26.08.2020

A copy of the Monthly Summary of the Ministry of Corporate Affairs for the month of June, 2020 is enclosed for information.

26/8

(Prashant Rastogi)
Under Secretary to the Govt. of India

To

All Members of the Council of Ministers

Copy, with enclosures, forwarded to:

1. Director, Cabinet Secretariat, Rashtrapati Bhawan, New Delhi
2. Senior PPS to Secretary, Ministry of Corporate Affairs
3. Senior PPS to Additional Secretary, Ministry of Corporate affairs
4. Dir (NIC) - To upload the communication on official website of the MCA

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

IMPORTANT POLICY DECISIONS TAKEN AND MAJOR ACHIEVEMENTS DURING THE MONTH OF JUNE, 2020

(1) NOTIFICATION:-

(i) A Notification dated June 5, 2020 was issued to make amend the Companies (Share Capital and Debentures) Rules, 2014 to provide that Start ups may issue sweat equity shares not exceeding fifty percent of its paid up capital upto ten years from the date of its incorporation or registration; and for exempting listed companies and listed NBFCs from having to invest or deposit a sum which shall not be less than fifteen percent of the amount of debentures issued on private placement basis in anyone or more methods of investments or deposits as provided under the rules[G.S.R. 372(E)]

(ii) Vide notification dated 23.06.2020, the Companies (Meetings of Board and its Powers) Rules 2014, have been amended to allow companies additional period of three months i.e. upto 30/9/2020, to conduct Board Meetings through Video Conference (VC) or other audio visual means for passing resolutions in respect of matters which were earlier required to be passed in meetings requiring physical presence of directors. [G.S.R 395 (E)]

(iii) Vide notification dated 23.06.2020, the Companies (Appointment and Qualification of Directors) Rules, 2014 have been amended to extend the period within which existing Independent directors may apply (online) for inclusion of their names in the databank for Independent Directors by another three months (i.e. upto 30th September, 2020]. [G.S.R 396 (E)]

(iv) Vide notification dated 29.06.2020, the Companies (Removal of Names of Companies from the Register of Companies) Rules, 2016 have been amended to provide that in case of applications for removal of names under section 248(2) of the Companies Act, 2013 by specified Government companies, the indemnity bond will be affirmed by the authorised representative of the Administrative Ministry/Department as per new Form STK-3A and not by the directors of the concerned Government Companies in form STK-3. [G.S.R. 420(E)]

(2) CIRCULARS:-

(i) Through the General Circular no. 22/2020 dated 15.06.2020, the Ministry has allowed companies to conduct their EGMs through video conferencing (VC) or other audio visual means (OAVM) or transact items through postal ballot upto **30th September, 2020** in accordance with the framework provided in the earlier general circulars No. 14/2020 dated 8th April, 2020 and No. 17/2020 dated 13th April, 2020 issued by the Ministry.

(ii) Through the General Circular no. 23/2020 dated 17.06.2020, the Ministry has introduced a Scheme, namely "Scheme for relaxation of time for filing forms related to creation or modification of charges under the Companies Act, 2013" for the purpose of condoning the delay in filing certain forms related to creation/ modification of charges. The scheme is applicable in respect of filing of Form No. CHG-1 and Form No. CHG-9 by a company or a charge holder, where the date of creation / modification of charge:

(a) is before 01.03.2020, but the timeline for filing such form had not expired under section 77 of the Act as on 01.03.2020, or

(b) falls on any date between 01.03.2020 to 30.09.2020

(iii) Through the General Circular no. 24/2020 dated 19.06.2020 the Ministry has extended the time from 30th June, 2020 to 30th September, 2020 in respect of matters referred to in paras V & VI of the General circular No. 11/2020 dated 24.3.2020 regarding creation of deposit repayment reserve of 20% under section 73 (2)(c) of the companies Act 2013 and to invest or deposit 15% of amount of debentures under rule 18 of Companies (Share capital and Debentures) Rules 2014.

(3) AMENDMENT TO THE COMPANIES ACT, 2013:- The Ministry is considering, subject to due approvals, promulgation of an Ordinance (Companies (Amendment) Ordinance, 2020) for implementing the amendments proposed through the Companies (Amendment) Bill, 2020. A Cabinet Note in this regard has been forwarded to the Cabinet Secretariat on 27th April, 2020 for obtaining approval of the Cabinet. Subsequently, a

Supplementary Cabinet Note has been sent on 19th May, 2020. The proposal is likely to be considered by the Cabinet shortly.

(4) The Insolvency and Bankruptcy Code (Amendment) Ordinance, 2020 was promulgated on 5th June, 2020 whereby a new Section 10A was inserted in the Insolvency and Bankruptcy Code(the Code), which deals with temporary suspension of section 7,9 and 10 of the Code for initiation of Corporate Insolvency Resolution Process.

(5) The Competition Commission of India (the Commission) received three (03) new cases u/s 19 of the Competition Act, 2002 for alleged violation of Section 3 & 4 during the month of June 2020. During the month, two (02) cases were decided. With this, the total number of cases filed up to June 2020 stands at 1076 and 919 cases have been decided.

(6) The Commission received seven (07) notices u/s 6 (2) of the Act pertaining to combinations during June 2020. With this, total 766 notices [753 u/s 6 (2) and 13 u/s 6 (5) of the Act] have been filed till June 2020. Out of these, 758 cases have been disposed of within the stipulated time and 08 cases u/s 6(2) are under consideration of the Commission.

(7) During the month, the Commission received two (02) combination cases under the Green Channel route taking the total number of such combination cases to fourteen (14) till date.

(8) The commission held four companies (NEIL, Schaeffler, SKF and Tata Bearings) and their respective officials guilty of violating the competition by way of cartelization in pricing in the domestic industrial and automotive bearing market and accordingly, directed them to cease and desist in future from indulging into practices which contravene the provisions of the Competition Act.

(9) The Ministry amended Schedule VII of the Companies Act, 2013 vide notification in the Gazette through notification no. G.S.R. 399(E) dated 23rd June, 2020. In the Schedule VII, in item (vi), after the words "war widows and their dependents", the words "Central Armed Police Forces (CAPF) and Central Para Military Forces (CPMF) veterans, and their dependents including widows;" shall be inserted.

<u>कारपोरेट कार्य मंत्रालय</u>

माह जून, 2020 के दौरान लिए गए महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय और प्रमुख उपलब्धियां

(1). अधिसूचना:-

(i) 5 जून, 2020 की अधिसूचना कंपनी (शेयरपूंजी और डिबेंचर) नियम, 2014 में संशोधन करने हेतु जारी की गई थी ताकि इसके तहत यह व्यवस्था हो सके कि स्टार्ट-अप्स नियम [सा.का.नि. 372(अ)]के तहत किए गए उपबंध के अनुसार किसी व्यक्ति के पास अथवा निवेश की अन्य पद्धतियों अथवा जमा राशियों में निजी नियोजन के आधार पर जारी किए गए डिबेंचरों की राशि में से 15% तक निवेश अथवा जमा की गई धनराशि से सूचीकृत कंपनियों और सूचीकृत एनबीएफसी को छूट देने और; इसके निगमन अथवा पंजीकरण की तारीख से दस वर्षों तक की अवधि के लिए इसकी प्रदत्त राशि में से 50% स्वैट इक्विटी शेयरों को जारी किया जा सके।

(ii) दिनांक 23.06.2020 की अधिसूचना के द्वारा कंपनी (बोर्ड की बैठकें और इसकी शक्तियां) नियम, 2014 में इस आशय के साथ संशोधन किया गया है ताकि तीन महीनों अथवा 30.09.2020 तक के लिए कंपनियों को अतिरिक्त समय दिया जा सकेजिसके फलस्वरूप वे ऐसे मामलों के संबंध में संकल्पों को पारित करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसों (वीसी) अथवा अन्य वीडियो अथवा अन्य दृश्य-श्रव्य संसाधनों के जरिए बोर्ड की बैठकों का संचालन कर सकें जिन्हें निदेशकों की वास्तविक मौजूदगी में पहले ही पारित किया जाना था। [सा.का.नि. 395(अ)]

(iii) 23.06.2020 की अधिसूचना के जरिए कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और अर्हता) नियम में इस आशय के साथ संशोधन किया गया है किउस अवधि को विस्तारित किया जा सके जिसके भीतर वर्तमान स्वतंत्र निदेशक अन्य तीन माह (अर्थात् 30 सितंबर, 2020) तक के लिए उनके निमित्त डाटा बैंक में अपने नामों को शामिल करने के लिए आवेदन (ऑनलाइन) कर सकें। [सा.का.नि. 396(अ)]

(iv) दिनांक 23.09.2020 की अधिसूचना के जरिए कंपनी (कंपनी रजिस्टर से कंपनियों के नाम हटाना) नियम, 2016 में इस आशय के साथ संशोधन किया गया है ताकि विशिष्ट सरकारी कंपनियों द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248(2) के तहत उनके नामों को हटाने के लिए किए गए आवेदनों के मामले में व्यवस्था की जा सके, इस संबंध में क्षतिपूर्ति बांड को नए प्ररूप एसटीके-3क के अनुसार प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग के प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा संपुष्ट किया जाएगा तथा यह कार्रवाई संबंधित सरकारी कंपनियों के निदेशकों द्वारा प्ररूप एसटीके-3 में की जानी अपेक्षित नहीं होगी। [सा.का.नि. 420(अ)]

(2) परिपत्र :-

(i) दिनांक 15.06.2020 के सामान्य परिपत्र संख्या 22/2020 के जरिए मंत्रालय ने अपने द्वारा परिपत्र संख्या 14/2020, 8 अप्रैल, 2020 और परिपत्र सं. 17/2020, दिनांक 13 अप्रैल, 2020 को जारी पूर्ववर्ती सामान्य परिपत्रों में किए गए उपबंध के अनुसार 30 सितंबर, 2020 तक वीडियो कान्फ्रेंसिंग (वी.सी.)/अन्य दृश्य-श्रव्य संसाधनों (ओएवीएम) अथवा पोस्टल बैलेट के जरिए ट्रांज़ैक्ट मदों के द्वारा कंपनियों को यह अनुमति दी थी कि वे अपनी ईजी बैठकों का संचालनकरें।

(ii) 17.06.2020 के सामान्य परिपत्र सं. 23/2020 के जरिए मंत्रालय ने कतिपय/संशोधन प्रभारों से संबंधित कुछ प्ररूपों को भरने में हुए विलंब की प्रतिपूर्ति करने के प्रयोजनार्थ कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत प्रभारों के सृजन अथवा उनके संशोधन से संबंधित प्ररूपों को भरने के लिए समय छूट स्कीम नाम से एक स्कीम शुरू की है। यह स्कीम किसी कंपनी या शुल्क धारक द्वारा प्ररूप सं. सीएचजी-1 और प्ररूप सं. सीएचजी-9 भरने के संबंध में लागू होगी जहां शुल्क के सृजन/संशोधन की तारीख:

(क) यह 01.03.2020 से पहले की है तथापि ऐसे प्ररूप को भरने का समय 01.02.2020 की स्थिति के अनुसार अधिनियम की धारा 77 के तहत समाप्त नहीं हुआ था; अथवा

(ख) यह 01.03.2020 से 30.09.2020 के बीच की किसी तारीख में आता हो।

(iii) दिनांक 19.06.2020 के सामान्य परिपत्र सं. 24/2020 के जरिए मंत्रालय ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 73(2)(ग) के तहत 20% आरक्षित जमा पुनःभुगतान करने और कंपनी (शेयरपूंजी और डिबेंचर) नियम, 2014 के नियम 18 के तहत निवेश करने अथवा डिबेंचरों की 15 प्रतिशत राशि जमा करने के संबंध में 30 जून, 2020 की अवधि को विस्तारित करके 30 सितंबर, 2020 कर दिया है।

(3) कंपनी अधिनियम, 2013 में संशोधनः- मंत्रालय समुचित अनुमोदनों के अध्यधीन, कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2020 के माध्यम से प्रस्तावित संशोधन कार्यन्वित करने के लिए एक अध्यादेश (कंपनी (संशोधन) अध्यादेश, 2020) के प्रख्यापन पर विचार कर रहा है। इस सबंध में एक मंत्रिमंडल नोट दिनांक 27 अप्रैल, 2020 को मंत्रिमंडल सचिवालय के लिए मंत्रिमंडल का अनुमोदन प्राप्त करने हेतु अग्रेषित किया गया है। इसके पश्चात्, दिनांक 19 मई, 2020 को एक अनुपूरक मंत्रिमंडल नोट भेजा गया है। इस प्रस्ताव पर शीघ्र ही मंत्रिमंडल द्वारा विचार किए जाने की संभावना है।

(4) दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2020 दिनांक 05 जून, 2020 को प्रख्यापित किया गया जिसमें दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संहिता) में एक नई धारा 10क अतःस्थापित की गई जिसमें कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया को आरंभ करने के लिए इस संहिता की धारा 7,9 और 10 के अस्थायी निलंबन की व्यवस्था है।

(5) भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (आयोग) को जून, 2020 के दौरान धारा 3 और 4 के तथाकथित उल्लंघन के लिए प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2020 की धारा 19 के अंतर्गत तीन (03) नये मामले प्राप्त हुए। इस माह के दौरान, दो (02) मामले निपटाए गए। इसके साथ, जून, 2020 तक फाइल किए गए मामलों की कुल संख्या 1076 होती है और 919 मामले निपटाए गए हैं।

(6) जून, 2020 के दौरान संयोजनों से संबंधित इस अधिनियम की धारा 6 (2) के अंतर्गत सात (07) नोटिस प्राप्त हुए। इसके साथ, जून, 2020 तक कुल 766 नोटिस [इस अधिनियम की धारा 6 (2) के अंतर्गत 753 और धारा 6(5) के अंतर्गत 13] फाइल किए गए हैं। इनमें से, 758 मामले निर्धारित समय के भीतर निपटा दी गए हैं और धारा 6 (2) के अंतर्गत 08 मामले आयोग के विचाराधीन हैं।

(7) इस माह के दौरान, आज की तारीख तक ग्रीन चैनल के माध्यम के अंतर्गत दो (02) संयोजन मामले आयोग को प्राप्त हुए इनके साथ ऐसे संयोजन मामलों की कुल संख्या चौदह (14) हो गई हैं।

(8) आयोग ने चार कंपनियों (नील, शैफलर, एसकेएफ और टाटा बैरिंग) और उनके संबंधित कार्मिकों को घरेलू औद्योगिक तथा ऑटोमोटिव बाजार में मूल्य में कार्टेलाईजेंशन के माध्यम से प्रतिस्पर्धा उल्लंघन का दोषी ठहराया गया था और तद्नुसार, उन्हें ऐसे भविष्य में ऐसे व्यवहारों जिन से प्रतिस्पर्धा अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन होता है, बंद करने अथवा दूर रहने का निदेश दिया।

(9) मंत्रालय दिनांक 23 जून, 2020 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 399(अ) के माध्यम से राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII को संशोधित किया था। अनुसूची VII में, मद (vi) में "युद्ध विधवाओं और उनके आश्रितों", शब्दों को "केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) और केंद्रीय अर्ध सैनिक बल (सीपीएमएफ) सेवानिवृत सैनिक, और विधवाओं सहित उनके आश्रित" शब्दों से अतःस्थापित किया जाएगा।